



देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए

dku live

वर्ष : 01 अंक-199 : जौनपुर, मंगलवार 11 अप्रैल 2023

सान्ध्य दैनिक (संस्करण)

पेज -4 मूल्य : 2 रुपया

बीफार्मा-डीफार्मा कॉलेजों की संबद्धता और एनओसी की जांच हेतु कमेटी गठित

लखनऊ द्व्यूरो : उत्तर प्रदेश सरकार ने बिछले एक वर्ष में स्थापित होने वाले बीफार्मा व डीफार्मा संस्थानों की संबद्धता व अनापत्ति दस्तावेजों की जांच करने का फैसला किया है। इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों के लिए अलग-अलग जांच कमेटियों का गठन कर दिया गया है। अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री एसपी गोयल ने जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि कॉलेजों की मानक के अनुसार संबद्धता व अनापत्ति की जांच कराकर रिपोर्ट अपनी संस्कृति से भेजें। सूत्रों ने बताया कि बिछले दिनों उच्च स्तर पर फार्मेसी संस्थानों की संबद्धता व एनओसी दिए जाने में मानकों को नज़रअंदा जिए जाने की शिकायत की गई थी। इसके बाद 2022-23 में एकटीयू के स्तर से जारी की गई संबद्धता व 2023-24 के लिए शासन द्वारा जारी की गई एनओसी का सत्यापन कराने का फैसला हुआ। 2023-24 में कॉलेजों के सचालन के लिए शासन स्तर से एनओसी दी गई है। जिससे कि कॉलेज फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया (पीसीआई) के समकाम मानता के लिए आवादन कर सकें। इसी तरह 2022-23 के लिए प्राविदिक शिक्षा परिषद द्वारा डीफार्मा के लिए जारी संबद्धता का सत्यापन कराने की बात तय हुई। सत्यापन समितियों को बीफार्मा व डीफार्मा कोर्स शुरू करने के लिए संस्था रत्न पर पूरी की जाने वाली मुख्य शर्त निरीक्षण रिपोर्ट का प्रालोकन मॉडल भी उपलब्ध कराए गए हैं। अपर मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को अपने रात से एक समिति गठित कर पूर्व में निरीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। समिति में एक तहसीलदार,

कर्मचारी। सीटों की संख्या के अनुसार संसाधन, शिक्षक व कर्मचारियों की उपलब्धता। विशेषज्ञों की टीम करती है भौतिक प्रशासन बीफार्मा की संबद्धता देने से पहले शासन एनओसी देती है। फिर पीसीआई जमीन के कागजात, नवशा, बिलिंग की फोटो आपके के आधार पर बैठक कराकर मान्यता देती है। फिर विशेषज्ञालय तत्त्व पर उच्च शिक्षा विभाग, एक वरिष्ठ शिक्षक, एक विषय विशेषज्ञ, एक सिविल इंजीनियरिंग से जुड़े व्यक्ति की टीम भौतिक निरीक्षण करती है। इसकी रिपोर्ट के आधार पर संबद्धता मिलती है। वहाँ, डीफार्मा के लिए पहले सभी आवायक कागजात पीसीआई में जमा होता है। पीसीआई के विशेषज्ञ स्थलीय निरीक्षण करते हैं। इसके बाद प्राविदिक शिक्षा परिषद की ओर से विभागीय अधिकारी, प्रदानाचार्य व शिक्षक की टीम भौतिक निरीक्षण करती है। इसकी रिपोर्ट पर परिषद संबद्धता देती है। मैंने ही भेजा सत्यापन का प्रस्ताव प्राविदिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल का कहना है कि संबद्धता-एनओसी के पुनः भौतिक सत्यापन के लिए मैंने ही प्रताप मुख्यमंत्री के पास भेज था। सत्र 2022-23 में समय की कारण कॉलेजों से स्थानीय कागजात तय हुई। इसमें उच्च शिक्षा का संबद्धता देती है। इसके बाद एनओसी के अनुसार निरीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन कराने का निर्देश दिया है। समिति में एक तहसीलदार,



भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेतृत्व में मनाई गई महात्मा ज्योतिबा बाई फुले की जयन्ती

जौनपुर द्व्यूरो विश्वप्रकाश श्रीवास्तव : समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की जयन्ती पर भाजपा ओवीसी मोर्चा के नेतृत्व में जिला मुख्यालय पर स्थित एक होटल में कार्यक्रम आयोजित की गई। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रभारी मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि देश से चुआछूत खत्म करने और समाज को सशक्त बनाने में अहम किरदार निभाने वाल महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म आज के ही पूरे पुणे में हुआ था। उनका परिवार कई पीढ़ी पहले माली का काम करता था। वे सातारा से पुणे फूल लाकर फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करते थे इसलिए उनकी पीढ़ी 'फुले' के नाम से जानी जाती थी। उन्होंने आगे कहा कि ज्योतिबा फुल महान क्रांतिकारी, भारतीय विचारक, समाजसेवी, लेखक एवं दर्शकनाथ के महाराष्ट्र में स्त्रियों के परतंत्रता से मुक्ति मिला था। लोगों में यतीवार, नए चिंतनों की शुरुआत हुई, जो आजादी की लड़ाई में उनके संबंध बने। उन्होंने किसानों और मजदूरों के हाथों के लिए भी संगठित अतिथि का स्वागत पूर्ण गुच्छ, अंगवस्त्र और स्मृति विन्ह संकर कराया था। इस महान समाजसेवी ने अचूतोद्धार के लिए भी उपराजनीय विन्ह संकर कराया था। उनका यादव नाम 1888 में उन्होंने 'महात्मा' की उपाधि दी गई। जिलाधिकारी ने उन्होंने पर आंदोलन चलाए। उन्होंने महाराष्ट्र में सर्वप्रथम महिला शिक्षा तथा अछूतोद्धार का काम आरंभ किया था। उन्होंने पुणे में लड़कियों के लिए भारत की पहली विद्यालय खोला।

दुनिया का सबसे फायेदमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है—प्रियंका मिश्रा

द्व्यूरो चीफ आर एल पाण्डेय लखनऊ के जिलाधिकारी दुनिया का सबसे फायेदमंद सौदा बुजुर्गों के पास बैठना है—चंद्र लक्ष्मी के बदले वो आपको वर्षों का तजुब्बा दे देते हैं। हम सब आज जो कुछ भी हैं, अपने माता-पिता और घर के बुजुर्गों के आशीर्वाद की ही बौलैल हैं। जन्म देनेवाली मां और पालन करने वाले पिता का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा है। घर के बुजुर्गों का समान कर। उन्हें खुश रखें। उक्त कथन सुनील प्रियंका मिश्रा अपर जिला अधिकारी (ए डी एम) हरदोई ने अपने औचक निरीक्षण में कहे। उन्होंने बुद्धाश्रम से रहने वाले सभी संवासियों से वार्ता कर बुद्धाश्रम में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली जिसमें सभी संवासी बुद्धाश्रम की व्यवस्था से संतुष्ट मिले। साथ ही बुद्धाश्रम के कार्यकर्ता गांगों से बुद्धाश्रम की दिनवर्षी पर विस्तृत चर्चा कर उन्हें निरीक्षित किया यह नौकरी नहीं सेवा है जिसका पुण्यफल यह लोक और परलोक दोनों सुधार देता है साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया मिले।



राजकीय नेशनल होम्योपैथीक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में धूम धाम से मनाया गया विश्व होमियोपैथी दिवस

मृत्युंजय प्रताप सिंह लखनऊ : राजकीय नेशनल होम्योपैथीक मेडिकल कॉलेज, लखनऊ में विश्व होमियोपैथी दिवस धूम धाम से मनाया गया। संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में विगत एक सप्ताह से चल रहे थे। खेल कूद व संस्कृतिक कार्यक्रम अनुद्योग 2023 के विजेताओं को सुनुक्त निरेशक, होमियोपैथी शिक्षा डॉ. वी. के पुकार कर देते हैं। उक्त कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्रों को अनुसंधान प्रेक्षक होने की बात कही। एक बैठक में विश्व होम्योपैथीक मेडिकल कॉलेज लखनऊ में आयोजित विश्व होमियोपैथी दिवस का उद्देश्य भजन करते हैं। अधीक्षक एश्वर्य प्रताप सिंह उपरिषित रहे। निरीक्षण के समय शीला जयसवाल, रुचि पाण्डेय, पूजा शर्मा, रजनीश, शिम आदि सभी 16 बुद्धाश्रम कार्यकर्ता तथा 104 बाबा—दादी आवासित मिले।



कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए प्रवार्य से नास्कृतिक कमिटी के स्प्रॉफेसर अमित तिलहरी अवध प्रांत ने गिरीश निगम को अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। वही राकेश मौर्य, वीरेंद्र तिवारी को उपाध्यक्ष एवं अलका मिश्रा को कार्यकर्ता अध्यक्ष, और मनोज वर्मा को महामंत्री का दायित्व सीपा। इसके साथ ही सुजाता वर्मा को दुर्गा वाहनी संचालिका का भी दायित्व दिया गया। नव नियुक्त अध्यक्ष गिरीश निगम ने संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु हर संभव प्रयास करने का कार्यकर्ताओं को आशासन दिया। इस अवसर पर अवध प्रांत के सभी विश्व होमियोपैथिक एवं भारी संख्या में अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी उपरिषित थे।

मनायी गयी महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फूले की जयन्ती

जौनपुर द्व्यूरो विश्वप्रकाश श्रीवास्तव : समाजावादी पार्टी कार्यालय पर महात्मा ज्योतिराव गोविंद राव फूले के जयन्ती जिलाध्यक्ष डॉ. अवध प्रांत नाथ पाल अध्यक्षता में मनाई गई डॉ. पाल ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि माहत्मा ज्योतिराव फूले ने महाराष्ट्र में सत्य शोधक समाज नाम स्थान का गढ़न किया जिसमें इन्होंने महिलाओं व अंगूठों के उत्थान के लिए आयोजित करते हैं। अंगूठों के उत्थान के लिए भारतीय समाज में संघर्ष हो रहा है। इनका विश्व होमियोपैथिक एवं अलका मिश्रा को शिक्षा प्रदान करने के लिए अवध प्रांत के प्रबल समर्थक के लिए आयोजित करते हैं। वे भारतीय समाज में प्रचलित जीवन और आधारित विभाजन और भेदभाव के विरुद्ध थे। इनका मूल उद्देश्य सित्रियों को शिक्षा का अधिकारी



कार प्रदान करना बाल विवाह का विरोध विधायक विवाह का समर्थन करना रहा। फूले समाज की कुप्रथा अंधश्रद्धा की जाल से समाज को मुक्त करना चाहते थे। अन्य सम्पूर्ण जीवन उन्होंने स्त्रियों को शिक्षा प्रदान करने में व्यतीत किया। फूले महिलाओं को स्त्री-पुरुष भेदभाव से बचाना चाहते थे। उन्होंने कन्याओं के लिए भारत वेश के पहली पाठशाला पुणे में बनाई। फूले सुधारों की विन्ह से कार्यक्रम आयोजित किया गया। ज्योतिराव ने उन्होंने एक बैठक में विश्व होमियोपैथीक मेडिकल कॉलेज लखनऊ के प्रवार्य का विश्व होमियोपैथी दिवस का उद्देश्य दिया। विश्व होमियोपैथीक मेडिकल कॉलेज लखनऊ के जीवन पर प्रवार्य का विश्व होमियोपैथी दिवस का उद्देश्य दिया। विश्व होमियोपैथीक मेडिकल कॉलेज लखनऊ के जीवन पर प्रवार्य का विश्व होमियोपैथी दिवस का उद्देश्य दिया। व

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन—2023 हेतु जनपद में धारा—144 द०प्र०सं० आदेश जारी

जौनपर स.वि. : जिला निर्वाचन बजे तक लाउडस्पीकर / साउण्ड एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी

अधिकारी अनुज कुमार झा ने अवगत कराया है कि नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 09 अप्रैल, 2023 के दृष्टिगत इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश, अन्तर्गत धारा-144 द0प्र0सं0 आदेश दिनांक 28 फरवरी, 2023 तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए नगरीय निकाय चुनाव के आलोक में तथा जनपद में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं एवं आसन्न त्यौहारों / पर्वों पर शान्ति, कानून व्यवस्था, सामाजिक / साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखना आवश्यक है। अराजक तत्वों द्वारा विधि विरुद्ध समस्त कार्यों को अनिवार्य रूप से रोका जाना भी आवश्यक है। चूंकि यह आदेश तुरन्त प्रभावी किया जाना अपरिहार्य हो गया है, ऐसी स्थिति में सभी पक्षों को सुना जाना सम्भव नहीं है। आदेश अन्तर्गत धारा-144 द0प्र0सं0 उपरोक्त के दृष्टिगत एक पक्षीय रूप से पारित किया जाना अनिवार्य है। अतः मैं अनुज कुमार झा, जिला मजिस्ट्रेट, जौनपुर उपरोक्त से संतुष्ट होते हुए धारा-144 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निम्नवत् निषेधाज्ञा पारित करता हूँ— सभी राजनीतिक दल / उम्मीदवार / उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे : ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल / उम्मीदवार / राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो या उससे विभिन्न वर्गों / दलों / व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। किसी भी राजनीतिक दल / उम्मीदवार की आलोचना उनकी नीतियों, कार्यक्रमों, पूर्व के इतिहास व कार्य के सम्बन्ध में ही की जा सकती है। किसी उम्मीदवार के व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्धित पहलुओं पर आलोचना नहीं की जाएगी। मत प्राप्त करने के लिए जातीय, साम्प्रदायिक और धार्मिक भावना का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से सहारा नहीं लिया जाएगा। पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, गिरजाघर व गुरुद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन के प्रचार हेतु तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यों हेतु नहीं किया जाएगा। सभी राजनीतिक दल / उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट चरण / अपराध माने गए हैं, जैसे— कसी चुनावी सभा में गड़बड़ी करना या करवाना, मतदाता को रिश्वत देकर या डरा धमका कर या आतंकित करके अपने पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित करना, तदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बाँटना। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन / प्रचार सामान्य जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा, और न ही मुद्रित या प्रकाशित करायेगा। मुद्रण के अन्तर्गत फोटो कापी भी सम्मिलित होगी। सभा / रैली / जुलूस में लाउडस्पीकर या किसी प्रचार वाहन / वीडियो वाहन का उपयोग बगैर जिला प्रशासन की अनुमति के नहीं किया जाएगा। बाक्स का प्रयोग नहीं किया जाएगा। किसी भी शासकीय / सार्वजनिक सम्पत्ति / स्थल / भवन / परिसर में पर विज्ञापन, वाल राईटिंग नहीं करेंगे। कट आउट / होर्डिंग / बैनर आदि नहीं लगायेंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे। बिना अनुमति के सभा, जुलूस, बाईक रैली, आदि नहीं होगा। चुनाव में प्रचार प्रसार हेतु बिना परमीशन के वाहन का प्रयोग वर्जित होगा। बिना अनुमति के एक स्थान पर पांच या उससे अधिक व्यक्तियों द्वारा एकत्र होकर भीड़ नहीं लगाया जाएगा। मतदान समाप्त होने के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभा व चुनाव प्रचार बन्द कर दिया जाएगा। इसमें टीवी / केबिल चैनल / रोडियो / प्रिन्ट मीडिया आदि द्वारा चुनाव प्रचार / विज्ञापन भी सम्मिलित होगा। मतदेय स्थल के 100 मी0 के अन्दर किसी प्रकार का प्रचार प्रसार नहीं किया जाएगा। मतदान के दिन मतदान की प्रक्रिया के दौरान लगाये गये अमिट स्याही को न तो पोछेगा और न ही हटायेगा। स्क्रीनिंग कमेटी के संस्तुति के बगैर कोई भी व्यक्ति अपने पास न तो शस्त्र रखेगा और न ही लेकर चलेगा। मतगणना परिसर के आस—पास मतगणना कार्मिकों / एजेंटों, जिनको पास दिया गया हो के अतिरिक्त कोई भी प्रवेश नहीं करेंगा। मीडिया के अलावा अन्य कोई व्यक्ति भीड़ के रूप में एकत्र नहीं होगा। अपने प्रत्याशी (जिसने उसे एजेंट नियुक्त किया हो) की मतगणना के उपरान्त कोई ऐसा एजेंट मतगणना स्थल पर नहीं रहेगा। सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान 10 या उससे अधिक गाड़ियों का काफिला लेकर प्रचार कार्य नहीं किया जाएगा। आपराधिक दुराचरण से मत पेटियों के मत पत्रों को नष्ट करने या उनमें अनाधिकृत व अवैध मतपत्रों को शामिल करने / कराने का कार्य नहीं करेंगे। परीक्षा केन्द्रों के आस—पास 200 मी0 की परिधि में ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का प्रयोग पूर्णतया प्रतिबन्धित रहेगा। किसी भी प्रकार के असलह / लाठी—डण्डे / ईट—पत्थर आदि लेकर चलना पूर्णतया वर्जित होगा। परीक्षा अवधि में किसी व्यक्ति / व्यक्तियों द्वारा परीक्षा से सम्बन्धित किसी कर्मी के प्रति आपराधिक / धमकी भरा व्यवहार नहीं करेगा यदि ऐसा किसी के द्वारा किया जाता है तो उसके विरुद्ध त्वरित प्रभावी विधिक कार्यवाही की जायेगी। परीक्षा केन्द्र परिसर के अन्दर कोई भी व्यक्ति नकल विरोधी अधिनियम में वर्णित सामग्रियों यथा सेल्युलर फोन कैलकुलेटर, स्लाइड रूल, मोबाइल फोन, आई फोन, कैलकुलेटरयुक्त घड़ी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामग्री, सादा कागज, कापी, किताबें, नोट्स, पत्रिकाएं, खाद्य सामग्री लेकर परीक्षा के अन्दर नहीं जायेगा। कोई भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा केन्द्र के अन्दर या बाहर से किसी भी माध्यम द्वारा किसी प्रकार की अनुचित सहायता पहुँचाने का प्रयास नहीं करेगा। परीक्षार्थियों के अतिरिक्त परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर परिधि में व्यक्तियों पर आदेश पारित होने के दिनांक से 08 जून 2023 तक प्रभावी रहेगा। इस आदेश या आदेश के किसी अंश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा। उक्त आदेश मेरे हस्तक्षर एवं न्यायालय की मुहर से आज 09 अप्रैल 2023 को

रात के 10:00 बजे से प्रातः 06:00 पांच या पांच से अधिक व्यक्ति जारी किया गया।

जौनपुर ब्यूरो विश्वप्रकाश श्रीवास्तव : पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाए जा रहे अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई के क्रम में मुंगराबादशाहपुर थाना पुलिस ने एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ के उपनिरीक्षक अतुल चतुर्वेदी के सहयोग से डीसीएम पर लाद कर ले जाए जा रहे दो कुंतल पचास किलो अवैध गांजा के साथ तीन तस्करों को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है। बरामद गांजा की बाजारु अन्तर्राष्ट्रीय कीमत लगभग 30 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के अनुसार एसटीएफ मुख्यालय लखनऊ के उपनिरीक्षक अतुल चतुर्वेदी मय टीम थाना परिसर में मौजूद रहे तथा मुंगराबादशाहपुर पुलिस को बताया कि मुख्यबिर खास से सूचना मिली है कि एक डीसीएम पर प्रयागराज की ओर से गांजा लाया जाया जा रहा है। उक्त सूचना पर विश्वास करके संयुक्त टीम द्वारा प्रयागराज की तरफ से आने वाले वाहनों की सघन रूप से चेकिंग की गयी जिसके परिणाम स्वरूप एक डीसीएम में 8 बोरी एवं एक थैले में अवैध रूप से रखा गांजा जिसकी तौल करने पर 2 कुट्टल 50 किग्रा मिला बरामद किया गया। पुलिस ने तीनों अभियुक्तों को अपनी अभिक्षा में लेकर पूछताछ की। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्त में आए अभियुक्तों ने अपना नाम पता दियाकर निषाद ग्राम गढ़वा थाना अहिराँला जिला आजमगढ़, अनिल कुमार सिंह निवासी ग्राम पड़वा थाना फतनपुर जिला प्रतापगढ़ तथा राजीव कुमार निवासी सोरायपदा थाना अजीतमन जिला औरेया बताया। तलाशी लेने पर दो अदद मोबाइल फोन मिले। पुलिस ने प्रयोग में लाई गई डीसीएम ट्रक को अपने कब्जे में लेकर विधिक कार्रवाई करने में जट गई है।

डा. विजया रानी वर्मा को नेपाल में मिला शिक्षा भूषण सम्मान



A photograph of a woman with dark hair, wearing a green sari with orange and red stripes, standing outdoors. She is positioned next to a low stone wall with several potted plants on it. In the background, there is a paved area with some trees and parked cars. The lighting suggests it's daytime.

ीयू परिसर में परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू

जौनपुर व्यूरो विश्वप्रकाश श्रीवास्तव : वीर बहादुर सिंह पूर्वाचल

पश्वविद्यालय परिसर के पाठ्यक्रम की परीक्षाओं का मूल्यांकन कार्य सोमवार शुरू हो गया। समय पर रिजल्ट प्राप्त हो इसके लिए यह कार्य शीघ्र ही



पारंभ कर दिया गया। इस अवसर पर पराक्षा नियंत्रक वाएन सह, मूल्यांकन केंद्र के प्रभारी डा. अमरेंद्र सिंह ने विधि विद्यान से पूजन कर मूल्यांकन कार्य पुरु कराया। कुलपति प्रो. निर्मला एस. मौर्य ने समय से रिजल्ट देना का नई दर्श दिया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की प्राथमिकता समय से रिणाम देने की है। ऐसे में मूल्यांकन तेजी से कराए जाएं। परीक्षा नियंत्रक कहा कि कॉपियों का मूल्यांकन में पारदर्शिता बरती जाए। बाहर के परीक्षकों ने अभी से बुलाना शुरू करें ताकि समय से कापियों का मूल्यांकन हो सके। प्राथ ही परीक्षकों से भी मूल्यांकन कार्य में तेजी लाने के लिए दबाव केंद्र प्रभारी नाएं। मूल्यांकन केंद्र प्रभारी डा अमरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि हर हाल में समय से परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। सभी परीक्षकों को फोन करके लाया जा रहा है। परीक्षा के बाद कापी आने और प्रक्रिया पूरी करने के बाद परीक्षकों को सूचित कर दिया जाएगा ताकि रिजल्ट निकलने में विलंब ना हो सके। इस अवसर पर डा. प्रवीण सिंह, रघुनंदन यादव, लालबहादुर आदि प्रस्थित थे।

शहरी निकाय चुनाव में मुसलमानों का पच्चास प्रतिशत सीटों पर प्रत्याशी उतारे सपा –ए.एम डेजी

जौनपुर ब्यूरो विश्वप्रकाश श्रीवास्तव :
समाजवादी पार्टी के संस्थापक काल से सक्रिय
गदस्य एवं जौनपुर जिले के वरिष्ठ समाजसेवी
खण्ड अली मंजर डेजी ने उत्तर प्रदेश में आगामी
हरी निकाय चुनाव में मुस्लिम समाज को
प्रयादा से ज्यादा भागीदारी देने की मांग की
उन्होंने कहा कि इस सन्दर्भ में पार्टी नेतृत्व
जीदगी से गौर करे उन्होंने कहा कि जौनपुर
मुस्लिम समाज हमेशा समाजवादी पार्टी के
पाथ पूरी तरह से जुटा रहता है बहुमत
स्लिम वोटरों ने एक मुश्त विगत विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को
वोट किया उन्होंने मांग की, कि आगामी नगर पालिका परिषद जौनपुर के
9 वार्डों में से कम से कम 18 वार्डों में मुस्लिम समाज के प्रत्याशी उतारे
दिया जाय।





13 मई को लगेगा राष्ट्रीय लोक अदालत

जौनपुर ब्यूरो विश्वप्रकाश श्रीवास्तव : प्रधान न्यायाधीश परिवार यायालय ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधन में 13 मई 2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है। तरं प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पत्रांक दिनांक 5 अप्रैल 2023 के नुसार उक्त राष्ट्रीय लोक में अधिकाधिक वादों के निस्तारण हेतु यह वावश्यक है कि कम से कम पांच प्री-ट्रायल बैठक आहूत की जाय। परिवारिक मामलों का अधिकाधिक निस्तारण सुनिश्चित किये जाने के प्रयोजन तथा पक्षकारों के मध्य सुलह वार्ता सम्पन्न कराने हेतु 13, 19, 25 अप्रैल 2023 , 1 एवं 5 मई 2023 की तिथियों पर परिवार न्यायालय प्रांगण में अपराह्न 00 बजे प्री-ट्रायल आयोजित की जाएगी। उपरोक्त तिथियों पर पक्षकारों के मध्य सुलह वार्ता सम्पन्न करायी जायेगी, ताकि लोक अदालत में अधिकतम वादों का निस्तारण किया जा सके।

ट्रैक्टर की चपेट में आने से छात्र की हँड़ मौत

जौनपुर ब्यूरो विश्वप्रकाश श्रीवास्तव : सरायख्बाजा थाना क्षेत्र के मीरापुर गांव में मासूम छात्र की ट्रैकटर की चेपेट में आने से मौत हो गई। उक्त गाव नेवासी राहुल यादव का 7 वर्षीय पुत्र रितेश यादव गांव की प्राइमरी पाठशाला पढ़ाई करता था। मंगलवार दोपहर छुट्टी होने पर खाना खाने के लिए पैदल



र जा रहा था। उसी समय ईट भट्ठा पर मिट्टी लेकर जा रहा तेज रपतार कट्टर की चेपेट में आ गया जिससे गंभीर रूप से घायल हो गया। किसी ने उसकी सूचना परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। परिजन घटनास्थल पर पहुंचे घायल बालक को लेकर परिजन जिला अस्पताल ले गये जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। चालक ने ट्रैक्टर गोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए ले डिया। वर्षी ट्रैक्टर को कब्जे में लेकर पुलिस जांच प्रदान कर गई।

नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन-2023 में नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों की सुविधा हेतु पैम्फलेट की है व्यवस्था –उप जिला निर्वाचन अधिकारी

